अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट

अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच राज. का गठन 1.1.2011 को डॉ. अम्बेडकर भवन 13–14 झालाना डूँगरी जयपुर में हुआ, माननीय तत्कालीन शिक्षामंत्री मा. भंवरलाल जी मेघवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। जिसमें माननीय राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा जी, रमेश मीणा माननीय संसदीय सचिव, प्रदेश के अजा जजा वर्गों के समस्त संगठन के पदाधिकारी, व 700–800 विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। मंथन कर सर्वसम्मति से श्री जे.पी. विमल (आई.ए.एस., से.नि.) को अध्यक्ष चुना गया। आरक्षण मंच में समस्त प्रदेश के अजा जजा संगठनों के अध्यक्ष/महासचिवों को शामिल किया गया।

4 जुलाई, 2011 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मा. भंवर लाल के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार से प्रतिनिधि मण्डल ने मिलकर ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधि मण्डल में समस्त अजा जजा के मंत्रीगण एवं आरक्षण मंच के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन में मुख्य तौर से अजा जजा कर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये यदि ऐसा हुआ तो सहन नहीं किया जायेगा।

दिनांक 15.02.2011 को जिला मुख्यालयों एवं 08.03.2011 को तहसील मुख्यालयों पर आरक्षण मंच द्वारा धरना देकर जिला कलेक्टर्स/उप जिला कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आरक्षण मंच का रजिस्ट्रेशन 10.03.2011 को करवाया गया। जिसका हर 3 साल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव किये जायेंगे।

दिनांक 17.02.2011 को होटल रेड फोक्स एवं 23.02.2011 को होटल आर.सी.ए. जयपुर में आरक्षण मंच द्वारा समस्त अ.जा., अ.ज.जा. मंत्री विधायको को बुलाया गया जिसमें विधायक 27 एवं मन्त्री 7 उपस्थित हुए। एक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन मुख्यमन्त्री महोदय को सौपा एवं एक सुर में बोले की आरक्षण के खिलाफ छेडछाड सहन नही करेगे। साथ ही आरक्षण मंच के प्रति आस्था भी प्रकट की।

दिनांक 27.03.2011 को आरक्षण मंच द्वारा उद्योग मैदान, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर में महारैली का आयोजन करवाया गया था। जिसमें डेढ लाख के लगभग जनसमूह उमड़ा था। महारैली में प्रदेश के अजा जजा के अधिकतर मंत्रीगण, सांसद, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों व पूर्व विधायकों ने भाग लिया जिसमें लगभग सभी नेताओं ने कहा कि यदि आरक्षण में किसी तरीके की छेडछाड़ की तो अपने पदों से सामुहिक इस्तीफा देंगे।

अजा जजा वर्ग, आरक्षण के खिलाफ बोलने वाले 74 विधायकों को आगामी चुनाव में वोट नहीं देने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। अन्त में श्री जे.पी. विमल के नेतृत्व में 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने शाम 5:00 बजे मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर ज्ञापन सौंपा। वार्ता में कहा कि आरक्षण से छोड़छाड बर्दाश्त नहीं की जावेगी। जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया। इसी के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2011 को के.के.भटनागर समिति का गठन किया गया । भटनागर समिति को आरक्षण मंच द्वारा 25.04.2011 को 101पेज का प्रतिवेदन सौंप कर विस्तृत चर्चा की।

दिनांक 13.05.2011 को मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिसमें प्राइवेट महाविद्यालयों एवं विधालयों में कार्यरत व्याख्याता/अध्यापक कुल 5992 स्टाफ कार्यरत था। जिसे सरकारी संस्थाओं में समायोजित किया गया उस पर आरक्षण मंच की ओर अनुपात 28प्रतिशत पदों पर बैकलॉग मान करके भर्ती करवाने की मांग की गई। यह ज्ञापन समस्त जिला इकाइयों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर्स को दिया ।

आरक्षण के संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 16 (4।) को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करने के षडयंत्र से बचने बाबत दिनांक 06.06.2011, 11.07.2011, 29.07.11, 01.08.2011, 04.08.2011, 17.08.2011, 02.09.2011 को महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, माननीय मुख्यमन्त्री, विधि मन्त्री, भारत सरकार, अध्यक्ष अ.जा. आयोग, अध्यक्ष अ.ज.जा. आयोग दिल्ली को ज्ञापन दिया गया ।

दिनांक 08.08.2011 को डॉ. किरोडी लाल मीणा सांसद, दौसा, रतन सिंह, सांसद भरतपुर, जे.पी.विमल के नेतृत्व में 150 आदमियों का प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली जाकर श्री अहमद पटेल से मिला। श्री पटेल को अवगत कराया कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। महाधिवक्ता श्री जी.एस. बापना सही पैरवी नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण अजा जजा वर्ग के 1.50 लाख कर्मियों पर विपरित प्रभाव पड सकता है। यदि ऐसा हुआ तो राजस्थान में कई सालों तक कांग्रेस सरकार नही बना सकेगी। उसके बाद माननीय मुख्यमन्त्री की सोच में बदलाव आया जिसके फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय दिल्ली से सीनियर एडवोकेट श्री वैद्यनाथन, मनीष सिघवी को बुलकार पैरवी की एवं लगातार कर

रहे है। जो ज्ञापन माननीय श्री पटेल को सौपा उसकी प्रतियां प्रदेश के समस्त एस.सी. एस.टी. सांसदो एवं अध्यक्ष अ.जा., अध्यक्ष अ.ज.जा. आयोग दिल्ली को भेजी गई ।

दिनांक 16.09.2011 एवं 24.10.2011 को श्री जे.पी. विमल के नेतृत्व में 31 एवं 35 सदस्यों का प्रतिनिधि मण्डल मुख्यमन्त्री से मिलकर न्यायालय में ठीक पैरवी करने हेतु एटॉर्नी जनरल भारत सरकार को बुलाने की मांग की जिस पर एडीशनल एटॉनी जनरल, न्यायालय में पैरवी के लिये बुलाया गया।

दिनांक 07.09.2011 प्रांतीय आरक्षण अधिकार सम्मेलन, अम्बेडर भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर व दिनांक 25.09.2011 को आरक्षण बचाने हेतु सामूहिक उपवास उद्योग मैदान, स्टेच्यू सर्किल पर रखा। जिसमें 11सूत्रीय मांगपत्र मुख्यमंत्री को सौंपा।

कई सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में 28 प्रतिशत से अधिक कर्मी पर न्यायालय में याचिका लग चुकी हैं। साथ ही राजनैतिक आरक्षण को भी चुनौती दी जा चुकी हैं। इन सभी में आरक्षण मंच न्यायालय में पक्षकार बन चुका है एवं आगे भी न्यायिक मामलों में कार्यवाही करता रहेगा।

जागो पार्टी द्वारा आरक्षण समाप्ति का दुष्प्रचार रोकने हेतु माननीय चुनाव आयोग को अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 22.11.2011 द्वारा नोटिस दिया गया है। जिसकी प्रति उचित कार्यवाही हेतु राज्य के मुख्यमन्त्री, गृह मन्त्री, मुख्य सचिव एवं ई.टी.वी. को भी दी गई ।

आरक्षण मंच का गठन पदोन्नति में आरक्षण को लेकर किया गया था। लेकिन समता आंदोलन समिति, समता मंच तथा जागो पार्टी द्वारा मूल आरक्षण समाप्त करवाने का बीडा उठाया हुआ है। राजनैतिक स्तर से आरक्षण समाप्त नही किया जा सकता है। अतः कतिपय संगठनों द्वारा आरक्षण को न्यायालयो द्वारा समाप्त करवाने का प्रयास जारी है। ऐसी स्थिति में आरक्षण मंच केवल पदोन्नति में आरक्षण तक ही सीमित नही रहेगा बल्कि अन्य मांग यथा बैक लॉग, निजी क्षेत्र में आरक्षण, विश्वविद्यालय स्तर पर कोटे को पूर्ण करने हेतु, लोकपाल में आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में अ.जा 17 प्रतिशत अ.ज. जा. 13 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाना।

आरक्षण मंच का यह प्रयास है कि राजकीय सेवको के अलावा राज्य मे अनुसूचित जाति व जन जाति की एकता को मजबूत कर राजनैतिक शक्ति प्राप्त करना है। लेकिन आर्थिक रूप से मंच की स्थिति ठिक नही है। अतः आशा है आपका आर्थिक सहयोग मंच को मिलता रहेगा। राज्य में सामाजिक क्रांति के सूत्रपात के लिए आरक्षण मंच की जिला इकाई व तहसील इकाईयो के गठन का कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है। आगे मंच को गाँव, ढ़ाणी तक विस्तार कर अ.जा. अ.ज.जा. के सामान्यजन को जोडना है। इस हेतु आरक्षण मंच को राज्य स्तर पर पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आशा है आगे भी मिलता रहेगा।

जय भीम

ई. आशाराम मीणा
महासचिव

प्रेस विज्ञप्ति

अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच राज. का आरक्षण अधिकार दिवस दिनांक 01.01.2012 को डॉ अम्बेडकर भवन, 13–14 झालाना डूंगरी, जयपुर में आयोजित होगा यह कार्यक्रम मंच का स्थापना दिवस पर हो रहा हैं इसमें वर्ष 2012 की आरक्षण से संबंधित भावी रणनीति तैयार की जावेगी।

ई. आशाराम मीणा
महासचिव

आमन्त्रण पत्र

श्रीमान सम्पादक महोदय,

_____

_____

श्रीमान सम्पादक महोदय से निवेदन है कि आप अपने मय फोटोग्राफर कार्यक्रम में न्यूज कवरेज हेतु उपस्थित होकर अनुगृहित करें।

ई. आशाराम मीणा
महासचिव